रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1094] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2009/आषाढ़ 23, 1931
No. 1094] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2009/ASADHA 23, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2009

का.आ. 1742(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल 2002, द्वारा आंध्रप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के 175.640 कि.मी. से 447.000 कि.मी. तक के भूखंड (नागपुर - हैदराबाद खंड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्रप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 278.000 कि.मी. से 308.000 कि.मी. (कुल लम्बाई 30.90 किलोमीटर) तक कदथल से अरमुर खंड के चार लेन वाले खंड के उपयोग के लिए नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यानों के प्रकार पर उसके स्तंभ (3), स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्गृहीत करती है और प्राधिकरण को उसके पदाधिकारियों के मार्फत या ठेकेदार के मार्फत शाश्वत आधार पर उक्त फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रकार	एकतरफा यात्रा के लिए यान की फीस दर (रुपए में)	उसी दिन वापसी यात्रा के लिए यानों की फीस दर (रुपए में)	एक मास में 50 यात्राओं के लिए विधि मान्य मासिक पास हेतु यानों की फीस दर (रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर यान	40	55	1275
2	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के मालवाहक यान या मिनी बस	60	90	1975
3	बस या ट्रक	120	180	4040
4	भारी निर्माण मशीनें या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय यान (तीन से छह धुरी)	185	280	6175
5	अधिक बड़े यान (सात अथवा अधिक धुरी)	235	355	7905

टिप्पण :-

1. वर्ष 2009-10 के लिए स्थानीय निजी यातायात के लिए मासिक पास की दर 165 रुपए (एक सौ पैंसठ रुपए) है ।
2. ऊपर सारणी में उल्लेखित फीस की दरें और स्थानीय निजी यातायात के लिए मासिक पास की रक्म प्रति वर्ष 1 अप्रैल से पुनरीक्षण के अध्यधीन राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबन्धों के आधार पर है।

[फा. सं. भा.रा.रा.प्रा./13013/469/08-09/सीओ/जीसी निर्मल (278-308)]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2009

S.O. 1742(E).— Whereas, vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highway, number S.O. 465 (E), dated the 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretch from Km 175.640 – Km 447.000 (Nagpur – Hyderabad Section) of National Highway number 7 in the State of Andhra Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby levies the fee at the rates specified in column (3), (4) and (5) of the following table, on the type of vehicles specified in column (2) thereof for the use of the four-laned Kadthal – Armur section from Km. 278.000 - Km. 308.000 (total length being 30.90 Km) of national highway number 7, in the State of Andhra Pradesh and authorises the Authority to collect in perpetuity, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE

Serial number.	**Particulars of vehicle .**	**Fee rate for vehicle for one way trip (in rupees).**	**Fee rate for vehicles for return trip in a day (in rupees)**	**Fee rate for vehicles for monthly pass valid for 50 journeys in a month. (in rupees).**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle.	40	55	1275
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus.	60	90	1975
3.	Bus or Truck.	120	180	4040
4.	Heavy Construction Machinery or Earth Moving Equipment or Multi Axle Vehicle (three to six axles).	185	280	6175
5	Oversized Vehicles (seven or more axles).	235	355	7905

Note:-

1. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs 165.00 (One hundred sixty five rupees) for the year 2009 -10.
2. The fee rates mentioned above in the table and the amount of monthly pass for the local personal traffic are subject to annual revision from 1st April every year on the basis of the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

[F. No. NHAI/13013/469/08-09/CO/GC Nirmal (278-308)]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.